



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक- 05.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 123/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ईनामी/शातिर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली



पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 123/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुहैल पुत्र राशिद निवासी ग्राम डोढरा थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-सुहेव पुत्र राशिद निवासी ग्राम डोढरा थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल पुत्र राशिद का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 221/24 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 809/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 739/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुहेव पुत्र राशिद का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 221/24 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 809/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-श्री शिवदत्त प्रभारी निरीक्षक थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-है0का0 525 दीपक कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-है0का0 354 नीलेश थाना बिनौली जनपद बागपत ।

6-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-का0 1104 चक्रपाल थाना बिनौली जनपद बागपत ।

8-का0 1002 तरुण यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 05.05.2025

बागपत पुलिस ने 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-कुलदीप पुत्र प्रेम सिंह

निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-प्रेम पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-संजय पुत्र रतिराम निवासी ग्राम पाबला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-अजय पुत्र दयाराम निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।

5-नासीर पुत्र नूरे निवासी ग्राम बड़का थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

6-भीम उर्फ प्रताप पुत्र रामरतन निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

7-रोबिन पुत्र रामफल निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

8-छोटू उर्फ छोटे पुत्र रामफल निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।



9-बिजेन्द्र पुत्र रामफल निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना रमाला पुलिस टीम ।
- 2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।
- 3-थाना महिला थाना पुलिस टीम ।
- 4-थाना बडौत पुलिस टीम ।
- 5-थाना बालैनी पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक- 05.05.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 45/25 धारा
191(2)/191(3)/127(2)/352/324(4)/333/131/109/115(2) बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक

03.04.2025 को
थाना बालैनी पर
वादी कर्मवीर सिंह
पुत्र रामे निवासी ग्राम
दत्तनगर थाना
बालैनी जनपद
बागपत ने सूचना दी



कि उसका पुत्र विनीत अपनी मोटरसाइकिल से घर आ रहा था । रास्ते में सुमित, प्रमोद, प्रवीण पुत्रगण ओमप्रकाश पवन पुत्र सतीश व 02 महिला निवासीगण ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत आदि ने मोटरसाइकिल खडी करके रास्ते को रोक रखा था । विनीत द्वारा मोटरसाइकिल हटाने के लिए कहा तो सभी लोगों ने विनीत से गाली-गलौज की तथा घटना को रंजिरा बनाकर उसके घर में घुसकर

धारदार हथियार व तमंचा लेकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की, जिससे रजनी, राजकुमार, विनीत, जगत आदि को गम्भीर चोटें आयीं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु०अ०सं० 45/25 अन्तर्गत धारा 191(2)/191(3)/127(2)/352/324(4)/333/131/109/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 45/25 धारा 191(2),191(3),127(2),352,324(4),333,131,109,115(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नानक निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० फूल सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3- म०उ०नि० आरती थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4- है०का० 52 बिजेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रैस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनाँक 05.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

29.04.2025 को
थाना बिनौली पर
वादी श्री सुभाष पुत्र
सुख्खे निवासी ग्राम
तितरौदा थाना
सिंघावली अहीर
जनपद बागपत ने
लिखित तहरीर दी
कि अभियुक्तों 1.



अरविन्द, 2. ब्रिजू, 3. पिन्टू पुत्रगण महरु, 4. महरु 5. बर्फी पत्नी महरु
निवासीगण ग्राम ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसकी पुत्री के
साथ दहेज के लिये प्रताड़ित कर मारपीट की गयी व अतिरिक्त दहेज में 01 लाख
रुपये नगद, 01 अपाचे मोटर साईकिल की मांग की गयी तथा दहेज की मांग पूर्ण
न होने पर उसकी पुत्री को फांसी देकर मार दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर
के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80/115(2)
बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट में पंजीकृत किया गया ।

नोट:- उक्त अभियोग में दिनांक 30.04.2025 को एक अभियुक्ता सहित एक अन्य
अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80/115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मेहरु हरिजन पुत्र स्व0 फूल सिंह निवासी ग्राम ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उनि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 1104 चक्रपाल थाना बिनौली जनपद बागपत ।

